



# HAMIRPUR POLICE



थाना कुरारा

दिनांक-28.08.2021

## 01 अवैध रायफल, 01 पिस्टल व 14 अवैध कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुरारा पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान कस्बा कुरारा मेन रोड मनकी तिराहा पर चेकिंग की जा रही थी तभी एक सफेद रंग की गाडी फारचूनर न0. यूपी 32 एलडी 6999 को रोक कर चेक किया गया तो गाडी के मध्य सीट पर बैठा व्यक्ति 315 बोर रायफल लिये था व अगली सीट पर बैठा व्यक्ति पिस्टल लिये था, जिनसे नाम-पता पूछा गया तो दोनो व्यक्ति अपने नाम पता बताने में आना कानी करने लगे, शक होने पर पुलिस टीम द्वारा दोनो व्यक्तियों को गाडी से उतरवाकर नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामसजीवन यादव पुत्र हरीराम निवासी ग्राम नहदौरा थाना मझगवां जिला पंचायत सदस्य वार्ड न0 15 रेहुटा हमीरपुर बताया तथा तलाशी से उसके कब्जे से एक अदद पिस्टल देशी 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस तथा 11 हजार रुपये नकद तथा दो अदद मोबाइल बरामद हुये। पिस्टल रखने का लाइसेन्स मांगा गया तो दिखा नहीं सका। पिस्टल के बारे में पूछने पर बताया कि वह पिछले वर्ष अपने निजी काम से बकेवर जनपद इटावा गया था वहीं पर एक अज्ञात व्यक्ति पिस्टल लिये था तथा यह पिस्टल अच्छी लगी तो उसी व्यक्ति से 24000 रुपये में खरीद ली तथा दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजेन्द्र यादव पुत्र लालदीवान निवासी सियाखरका थाना ककरवई जिला झांसी का रहने वाला बताया तथा जिसके कब्जे से एक अदद रायफल 315 बोर रायफल न0 AB 040463 मेड इन इण्डिया तथा 10 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद मोबाइल मल्टीमीडिया बरामद हुआ, बरामद शस्त्र का लाइसेन्स मांगा गया तो नहीं दिखा सका तथा बताया कि यह रायफल मेरे मित्र अरूण कुमार पुत्र अमर चन्द्र निवासी चरखारी रोड थाना राठ जिला हमीरपुर की है इसे मैं ही अपने पास रखता हू तथा साथ लेकर चलता हूँ।

इस सम्बन्ध में 1). अभियुक्त रामसजीवन यादव पुत्र हरीराम निवासी ग्राम नहदौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/2021 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट, 2). अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र लालदीवान निवासी सियाखरका थाना ककरवई जिला झांसी के विरुद्ध मु0अ0सं0 209/2021 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट व 3). लाइसेन्स धारक अरूण कुमार पुत्र अमर चन्द्र निवासी चरखारी रोड कस्बा राठ हमीरपुर के विरुद्ध अपने लाइसेन्स शस्त्र को अविधिक रूप से दूसरे व्यक्ति को दिये जाने पर लाइसेन्सी अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन करने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2021 धारा 30 आर्म्स ऐक्ट में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रामसजीवन यादव पुत्र हरीराम निवासी ग्राम नहदौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर
2. राजेन्द्र यादव पुत्र लालदीवान निवासी सियाखरका थाना ककरवई जिला झांसी

### अन्य अभियुक्त:-

1. अरूण कुमार पुत्र अमर चन्द्र निवासी चरखारी रोड कस्बा राठ हमीरपुर

### बरामदगी का विवरण:-

- 1). एक अदद रायफल 315 बोर रायफल न0 AB 040463 मेड इन इण्डिया तथा 10 अदद जिन्दा कारतूस
- 2). एक अदद पिस्टल देशी 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस
- 3). 03 अदद मोबाइल फोन
- 4). एक सफेद रंग की गाडी फारचूनर न0 यूपी 32 एलडी 6999

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 आनन्द कुमार सिंह
2. व0उ0नि0 लालजी सरोज
3. उ0नि0 शिवदान सिंह
4. हे0का0 अतीन्द्र सिंह चौहान
4. का0 अमित कुमार
5. का0 कृष्ण कुमार थाना कुरारा हमीरपुर

